न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **16/2020**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– शान्तिदेवी पुत्री स्व0 उरजाराम पत्नी कानाराम जाति कुमावत (गोटवाल) निवासी ग्राम पिंसागन तहसील पिसांगन जिला अजमेर 2– मोकलीदेवी पुत्री स्व0 उरजाराम पत्नी रामचन्द्र जाति कुमावत (मानणिया) निवासी ग्राम पिंसागन तहसील पिंगासन जिला अजमेर 3– पेमाराम पुत्र श्रीमती केलकीदेवी पुत्री स्व0 उरजाराम पत्नी खाकीजी जाति कुमावत (मानणिया) निवासी ग्राम पिंसागन तहसील पिंगासन जिला अजमेर 4– चन्दाराम पुत्र श्रीमती तुलछीदेवी पत्नी पुरखाजी पुत्री स्व0 उरजाराम जाति कुमावत निवासी बुटीवास, तहसील रायपुर जिला पाली 5– मदनलाल पुत्र श्रीमती सुखीदेवी पत्नी भंवरलाल पुत्री स्व0 उरजाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम पींगासन तहसील पिंगासन जिला अजमेर		1–कालुराम पुत्र स्व0 उरजाराम 2– किशनाराम पुत्र स्व0 उरजाराम दोनों जातियान कुमावत निवासीगण ग्राम बुटीवास तहसील रायपुर, जिला पाली 3– नायब तहसीलदार, रायपुर जिला पाली 4– हनुमानराम पुत्र सगराम जाति कुमावत निवासी ग्राम बुटीवास तहसील रायपुर जिला पाली 5– सुवासिह पुत्र हरिसिह जाति रावत निवासी ग्राम बुंटीवास,तहसील रायपुर जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–1–2020 जो राजस्व अपील संख्या 15/2018 अनवान श्रीमती शांतिदेवी वगैरा बनाम कालुराम वगैरा मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री युगल किशोर मामनानी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 2 की ओर से ।
3– श्री डुंगर सिह राठौड अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 से 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 03 नवम्बर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बुटीवास तहसील रायपुर जिला पाली की सरहद मे खसरा नंबरान 630, 631, 634, 635/1, 635, 632, 756, 636, कुल 8 खसरान की कुल 51 बीघा 11 बिस्वा भूमि खातेदार उरजा पुत्र भोमा जाति कुम्हार एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी, उक्त भूमि मे खातेदार उरजा का 1/2 हिस्सा था। खातेदार उरजा वर्तमान अपील के अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता तथा अपीलांट संख्या 3 से 5 के नाना थे, जिनका स्वर्गवास वर्ष 1981 मे हो चुका था। उक्त खातेदार उरजा के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी का

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की जांच किये बिना केवल उसके दो लडको कालुराम एवं किशनाराम वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे भरकर पटवारी हल्का ने प्रस्तुत किया जिसे नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 8–6–1981 को स्वीकृत कर दिया, उक्त म्युटेशन संख्या 317 स्वीकृति दिनांक 8–6–1981 की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांटगण द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 317 के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–1–2020 के द्वारा अपीलांटगण की अपील को सारहीन एवं मयाद बाहर मानते हुए खारीज कर दी जाने पर अपीलाटगण की ओर से वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 317 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत स्वीकृत किया गया होने से निरस्त योग्य था वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 317 स्वीकृत करने से पूर्व मृतक खातेदार उरजा के विधिक वारिसान की जांच किये बिना तथा उन्हे सुनवाई का नोटिस दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से कानूनी तौर पर निरस्त योग्य है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना अपीलांट की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे मृतक खातेदार उरजा पुत्र भोमा की वंशावली प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मृतक के फोत होने पर उसके हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान मे अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा अपीलांट संख्या 3 से 5 की माता क्रमशः केलकीदेवी, तुलछीदेवी, सुखीदेवी एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 सभी का उरजा के 1/2 हिस्से की भूमि मे प्रत्येक का 1/7वां हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि मे 1/14वां हिस्से पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा था परंतु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर अकेले अपने नाम से म्युटेशन संख्या 317 स्वीकृत करवा लिया इसलिए उक्त म्युटेशन हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 मे वर्णित प्रावधानो के विपरीत स्वीकृत किया हुआ होने से निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा आलौच्य म्युटेशन संख्या 317 मे वर्णित उरजा के 1/2 हक व हिस्से की सम्पूर्ण कृषि भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा दी और उरजा के 1/2

हिस्से की भूमि मे से रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा 1/4 हिस्से की भूमि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 4 हनुमानराम पुत्र संगराम कौम कुमावत को रजिस्टर्ड बेचान कर दी जबकि उक्त खसरे की भूमि मे रेस्पो0 संख्या 1 का 1/14वां हिस्सा ही हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार निहित है। इसी प्रकार खसरा नंबर 630 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे उरजा के 1/2 हिस्से की भूमि मे से रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा 1/4 हिस्से की भूमि रेस्पो0 संख्या 4 हनुमानराम को तथा रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा 1/4 हिस्से की भूमि रेस्पो0 संख्या 5 सुवासिह पुत्र हरिसिह कौम रावत को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा कर दी जबकि उक्त खसरे की भूमि मे रेस्पो0 संख्या 1 का 1/14वां हिस्सा व रेस्पो0 संख्या 2 का 1/14वा हिस्सा ही हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार निहित है । इसीप्रकार खसरा नंबर 756 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा भूमि मे स्थित उरजा के 1/2 हिस्से की भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा क्रेता हरजी पुत्र मिश्रु कौम बावरी को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा बेचान कर दी जबकि उक्त खसरे की भूमि मे रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0संख्या 2 का 1/14–1/14वां हिस्सा ही हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार निहित है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त खसरे की भूमि मे अपीलांट्स के निहित हक व हिस्से की भूमि के संबंध मे उपरोक्त समस्त क्रेतागणो को किया गया बेचान अपीलांट के हक हिस्से तक प्रारंभ से शून्य एवं प्रभावहीन है तथा ऐसे शून्य एव प्रभावहीन बेचाननामा के आधार पर उपरोक्त समस्त क्रेतागणो को कानूनन अपीलांट के निहित हक व हिस्से की भूमि के बाबत कोई अधिकार प्राप्त नही होते है तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा उपरोक्त खसरो की भूमि के संबंध मे क्रेतागण को किया गया बेचाननामा उनके उपरोक्त खसरो की भूमि के संबंध मे निहित 1/14वां हिस्सा तक ही प्रवर्तनीय है न कि अपीलांट्स को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा निहित हक से ज्यादा भूमि के संबंध मे किये गये बेचाननामा को कानूनन निरस्त करवाने की आवश्यकता है न ही उपरोक्त समस्त क्रेतागण प्रस्तुत म्युटेशन अपील मे आवश्यक पक्षकार है। वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2013 (2)आर.आर.टी. पेज 1284 मे अभिनिर्धारित किया है कि "पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिसान है और उन्हे मनमाने ढंग से छोडा नही जा सकता है तथा ऐसे एकपक्षीय आदेश मे परिसीमा तात्विक नही है तथा न ही पुत्रियो को घोषणा हेतु वाद पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मृतक के वारिसानो द्वारा किया गया विक्रय उनके निहित हक व हिस्से तक ही प्रवर्तनीय है"। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना ही अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि वर्तमान मामले मे समस्त क्रेतागण की स्थिति विधि के अनुसार अजनबी क्रेता की है तथा उनको कानूनन

अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जा एवं काश्तसुदा व संयुक्त खातेदारी सुदा भूमि मे दखलअंदाजी करने का हक अधिकार नही है। वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध मे अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के मध्य आज दिन तक लिखित विभाजन व बंटवाडा नही हुआ है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अविभाजित कृषि भूमि के केता की स्थिति अजनबी क्रेता की होती है इसलिए भी उपरोक्त समस्त केतागण कानून की दृष्टि से अजनबी क्रेता है जिनको पक्षकार बनाया जाना विधि के अनुसार न्यायोचित नही है परंतु इस तथ्य पर कोई विचार किये बिना ही अपीलाटंस द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज करने मे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील मे विधि एवं न्याय के सारभूत प्रश्न अर्न्तनिहित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने परिसीमा के तकनिकी बिन्दु को प्राथमिकता देते हए अपीलांटगण की अपील को खारीज की है जबकि राजस्व मण्डल अजमेर एवं माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेको न्यायिक दृष्टांतो के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि अपील मे जहां विधि एवं न्याय का सारभूत प्रश्न अन्तर्गस्त है तथा परिसीमा के तकनिकी विचार के मुकाबले न्याय का सारभूत प्रश्न दफन होता है तो सारभूत न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और अपील का गुणावगुण पर विनिश्चयन किया जाना चाहिये। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है कि उतराधिकार के आधार पर नामांतरकरण दर्ज व स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा सभी उतराधिकारियो की जांच की जानी चाहिये एवं सभी उतराधिकारियो को नोटिस दिया जाना चाहिये। यदि अधिकारी द्वारा ऐसा नही किया जाता है तथा कुछ उतराधिकारियो के नाम म्युटेशन दर्ज किया जाता है तथा शेष उतराधिकारियो को नोटिस नही दिया जाता है तो ऐसा आदेश एकपक्षीय आदेश होने से परिसीमा की अवधि शेष उत्तराधिकारियो द्वारा प्रस्तुत अपील मे नही चलती है तथा न ही विलंब हेतु स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। आलोच्य म्युटेशन संख्या 317 रेस्पो संख्या 3 नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा स्वीकृत एवं दर्जे करते समय अपीलांटगण को कोई नोटिस नही दिया था इसलिए उक्त सिद्धान्त अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के संबंध मे पूर्णतया लागू होता है। उपरोक्त तमाम कानूनी प्रावधान जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो पर कोई विचार किये बिना ही अपीलांटगण की अपील को खारीज करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–1–2020 को निरस्त करने एवं आलौच्य म्युटेशन संख्या 317 दिनांक 8–6–1981 ग्राम बूटीवास तहसील रायपुर को निरस्त करने तथा तहसीलदार रायपुर को अपीलाधीन भूमि मे निहित उरजाराम पुत्र भोमा के 1/2 हक व हिस्से की भूमि के संबंध मे उरजाराम का पुनः फोतेदगी म्युटेशन अपीलांटगण एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलांटगण एंव रेस्पो0 संख्या 1 व 2 केनाम दर्ज करने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलांट ने अपनी उक्त बहस के समर्थन मे 2013 (2) आर.आर.टी. 1284, 2022 (1) आर.आर.टी. 493, 2009 (1) आर.आर.टी. 467, 2019 (2) आर.आर.टी. 1206, 2008 (1) आर.आर.टी. 1406, 2010 (1) आर.आर.टी. 273, 2011 (2) आर.आर.टी. 788, 2015 (1) आर.आर.टी. 100, 2018(1) आर.आर.टी. 584, 2005 (2) आर.आर.टी. 995, 2020 (2) आर.आर.टी. 998, 1989 आर.आर.डी. पेज 45, 2002 आर.आर.डी. पेज 65, 2016 (1) डी.एन.जे.(राज). पेज 432, 2016(2) डी.एन.जे.(राज). पेज 485, 1998 आर.आर.डी. पेज 319, 2020 आर.बी.जे. पेज 208, 1995 आर.आर.डी. पेज 296, एस.सी. 1 निर्णय बाबूराम बनाम संतोषसिह एवं राज0 सरकार का परिपत्र/अधिसूचना दिनांक 8–1–2007 आदि प्रस्तुत किये।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से पत्रावली मे जवाब प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे उल्लेख किया कि अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार उरजा पुत्र भोमा जाति कुम्हार एवं अन्य सहखातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि जिसमे उरजा का 1/2 हिस्सा था। खातेदार उरजा अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता तथा अपीलांट संख्या 3 से 5 के नाना थे जिनका स्वर्गवास वर्ष 1981 मे हो जाने पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा अपीलांट संख्या 3 से 5 की माता तुलसीदेवी, केलकीदेवी, सुखीदेवी तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा प्रत्येक का स्व0 उरजा के खातेदारी 1/2 हिस्से की भूमि मे से 1/7वां हिस्सा है परंतु खातेदार उरजा के देहांत होने पर म्युटेशन संख्या 317 केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत किया गया जबकि उनके अलावा भी स्व0 उरजा के 5 पुत्रिया भी थी उनके नाम भी उक्त म्युटेशन मे दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु पुत्रियो को कानूनी की जानकारी नही होने से पुत्रियो ने उक्त म्युटेशन मे नाम दर्ज करवाने बाबत कोई कार्यवाही नही की ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब मे यह भी कथन किया कि उनके द्वारा रेस्पो0 संख्या 4 व 5 को उनके हक व हिस्से तक की भूमि का ही बेचान किया गया था तथा उनके हक हिस्से की भमि का ही रेस्पो0 संख्या 4 व 5 को कब्जा सुपुर्द किया परन्तु रेस्पो0 संख्या 4 व 5 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की अनपढता का फायदा उठाकर धोखे से अपीलांट के हिस्से की भूमि की भी रजिस्ट्री करवा दी जबकि अपीलांट्स का आज भी उनके हक व हिस्से की भूमि पर कब्जा

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

काश्त है। वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 317 दिनांक 8-6-1981 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 317 को निरस्त कर अपीलांट्स का नाम रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के साथ पुनः म्युटेशन मे दर्ज किया जाता है तो उसमे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का उजर एतराज नही होना बताया।

रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 317 जो दिनांक 8-6-1981 को स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 37 वर्ष के विलब से प्रस्तुत की गई अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद बाहर मानकर खारीज करने बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3-1-2020 विधिसम्मत होने से उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

रेस्पो0 संख्या 4 व 5 अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज की है तो इस न्यायालय मे द्वितीय अपील मेन्टेनेबल ही नही है। वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मे अपीलाधीन भूमि के केता को पक्षकार नही बनाया इसलिए अपील मेन्टेनेबल नही है तथा कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर कब्जा हमारा एवं केता का है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन के बारे मे अपीलांट को जानकारी पहले से ही थी क्योकि परिवार मे आना जाना लगातार हो रहा है तो अपीलाधीन भूमि के बारे मे पूर्व से ही जानकारी थी। केवल जमीनो के भाव बढ जाने से इतने लंबे अंतराल के बाद अपील रेस्पो0 को परेशान करने के लिए प्रस्तुत की है।

वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल लेने के भी 15 दिन बाद इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की है तथा कथन किया कि इन 15 दिन का भी कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है एवं यह भी कथन किया कि अपीलांट ने गलत शपथपत्र प्रस्तुत किया है इस संबंध मे कथन किया कि शपथपत्र मे यदि गलत तथ्य का उल्लेख किया है तो अपील कोस्ट पर खारीज की जानी चाहिये।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि म्युटेशन से किसी प्रकार के राईट हासिल नही होते और न ही अधिकार समाप्त होते है। म्युटेशन की कार्यवाही तो केवल लगान किससे वसूल किया जाना है एक वित्तीय प्रकिया है। वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने यह भी कथन किया कि वे अपीलाधीन भूमि के सदभावी केता है इनके पक्ष मे हुए पंजीबद्ध बेचान को चेलेंज

तो भाई बहिनो ने दुर्भिसंधि करते हुए म्युटेशन अपील प्रस्तुत कर दी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे विस्तृत विवेचन के साथ अपीलांट की प्रथम अपील को खारीज कर देने पर वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है, जो निरस्त योग्य है।

वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 कालूराम ने पत्नी से सिविल कोर्ट मे दावा प्रस्तुत किया जिसका अनुवान सीतादेवी बनाम कालूराम व अन्य, सिविल कोर्ट मे रिलीफ नही मिली तो अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष 37 वर्ष विलंब से अपील प्रस्तुत करने तथा विलंब का कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया। वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने अपनी बहस के समर्थन मे क्रमशः डीएनजे 2011 (1) राज. पेज 454, डीएनजे 2015 (राज.) पेज 202, ए.आई.आर. 2001 एस.सी.(13) पेज 279, ए. आई.आर. 1960 एस.सी पेज 100, ए.आई.आर. 1977 एस.सी पेज 1724, ए.आई.आर. 1974 एस.सी.(13) पेज 117, ए.आई.आर. 1995 राज पेज 47 बी, ए.आई.आर. 2016 एस.सी पेज 345, 1997 एपेक्स कोर्ट जनरल 105 एससी तथा आर.एल.ड्ब्लु 2006 राज. पेज 98 की निर्णय नजीरें प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन निर्णय एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं निर्णय नजीरो आदि का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया।

रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से अपील के विचारण के दौरान आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सीपीसी एवं आदेश 41 नियम 27 के पेश किये गये। रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पर बहस उपरान्त पूर्व में स्वीकार किया गया।

अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 में रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने यह उल्लेख किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील संख्या 15/2018 शान्तीदेवी बनाम कालूराम वगैराह में पारित निर्णय में कोई कानूनी चुक नहीं की है जिसे यथावत फरमावे व अपीलान्ट की इस अपील को खारिज फरमावे, यदि अपीलान्टस का कोई हक अधिकार है, तो नियमित दावा प्रस्तुत कर अपने हक–अधिकार तय करा सकते है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के उक्त आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 के सम्बन्ध में अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 में अंकित भूमि के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम

अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित वाद पेश करने के लिये मृतक की पुत्रियों को बाध्य नहीं किया जा सकता है तथा मृतक के पुत्रों के द्वारा किया गया विक्रय उनके निहित हक व हिस्से तक ही प्रवर्तनीय है। इसलिये रेस्पो0 संख्या 4 व 5 का उक्त कॉस आब्जेक्शन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आदेश नियम 22 सीपीसी के तहत केवल डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में ही कॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत किये जा सकते है। नामा0 की कार्यवाही में पारित आदेश की अपील में कॉस आब्जेक्शन मेन्टेनेबल नहीं है। अतः इन्हें अस्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकाकर करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2020 एवं नामा0 संख्या 317 दिनांक 8.6.1981 ग्राम बुटीवास को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड कर विवादित जायदाद के सम्बन्ध में स्व0 उरजा पुत्र भोमा के 1/2 हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में पुनः फौतेदगी नामा0 अपीलान्टस व रेस्पो0 को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नामा0 दर्ज कर स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के अवलोकन से पाया है कि अपीलार्थीया के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 317 स्वीकृति दिनांक 08.06.1981 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 05.04.2018 को प्रस्तुत की गई है जो लगभग 37 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से की जाना प्रकट है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि का अन्य व्यक्तियों को आगे बेचान भी हो चुका है।

प्रार्थीया/अपीलार्थी का अधिनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में यह उल्लेखित किया जाना कि "आलौच्य नामा0 संख्या 317 दिनांक 08.06.1981 की उन्हें प्रथम बार जानकारी दिनांक 18.02.2018 को हल्का पटवारी, ग्राम बूटीवास से जमाबन्दी की सत्यप्रति प्राप्त करने पर होने से तथा उक्त तारीख को जानकारी होने के पश्चात प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद है। अतः उक्त देरी को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे।" अपीलार्थी के द्वारा उल्लेखित किये गये इन कथनों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित किये गये तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीया की अपील को म्याद बाहर होने के आधार पर खारिज किया गया है।

म्याद बिन्दू के सम्बन्ध में आरआरटी 2013 (1) पेज 125 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि "Code of civil Procedur] 1908-order 41, Rule 3A(3) & Sec. 151- Application filed to decide the question of limitation first- Application rejected & passed the order of hearing the application & appeal together-Delay of 35 years in filling appeal against mutation sanctioned on 10-02-1975 – Question of limitation should have been decided first-Held, order is illegal & set aside & case remanded & directed to decide the question of limitation first.

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

जोधपुर

इसी प्रकार आरआरटी 2011(1) पेज 454 में प्रतिपादित कि Question of limitation should have been decided first before passing order on merits.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील के संलग्न प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उक्त कथन अपील प्रस्तुत करने की गई देरी को क्षमा किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार "Sufficient Cause" की श्रेणी में नहीं आते है क्योंकि 37 वर्ष की लम्बी अवधि में वादग्रस्त भूमि का आगे बेचान किया जाना भी पत्रावली में उल्लेखित है।

इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हमारे विनम्र मत में अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील जो म्याद के बिन्दु के आधार पर खारिज की गई है, वो उचित प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नही है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त रेस्पो० संख्या 4 व 5 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सीपीसी स्वीकार किया जाता है व अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2020 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 03 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर